



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर  
108/11 आवास विकास कालोनी, बिजनौर -246701

सन्दर्भ सं० : 2344/D-2/जनरल

दिनांक : 18-2-2016

सेवा में,  
अपर जिलाधिकारी  
अमरोहा।

विषय-रिटेल आउटलेट पम्प की स्थापना हेतु जाँच आख्या।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं०-316/आबकारी लिपिक/2016 दिनांक-05.02.2016 जो इस कार्यालय में दिनांक-12.02.2016 को प्राप्त हुआ है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के अनुक्रम में प्रस्तावित स्थल की स्थलीय जाँच करायी गयी। निरीक्षण आख्या के अनुसार मैसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, खसरा संख्या-187, ग्राम-मन्सूरपुर, हसनपुर-सम्भल रोड, अमरोहा में पेट्रोल/डीजल पम्प (रिटेल आउटलेट) के 1x15 के०एल० (एम०एस०) तथा 1x20 के०एल० (एच०एस०डी०) टैंकों के भण्डारण हेतु 02 नं० टैंकों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित स्थल के पूर्व दिशा में श्री अफजाल अहमद की खाली जमीन व अन्य आवासीय मकान, पश्चिम दिशा में श्री जाहिद व अन्य के खाली खेत, उत्तर दिशा में श्री अफजाल अहमद की खाली जमीन तथा दक्षिण दिशा में हसनपुर-सम्भल रोड स्थित है। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से प्रस्तावित स्थल पर उपरोक्त क्षमता के अन्डरग्राउण्ड टैंकों की स्थापना निम्नलिखित शर्तों के अधीन संस्तुति की जाती है:-

1. पेट्रोल पम्प द्वारा बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-1981 के अन्तर्गत सहमति प्राप्त की जायें।
2. प्रस्तावित 10 के०वी०ए० का डी०जी० सेट, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना सं०-जी.एस.आर. 371 (ई) दिनांक-17.05.02 व जी.एस.आर 448 (ई) दिनांक-12.07.04 के अनुसार एकाउस्टिक इन्क्लोजर तथा एग्जास्ट मफलर सहित स्थापित किया जाये।
3. इकाई पेट्रोलियम पदार्थों का भण्डारण एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट के मार्गदर्शिका के अनुसार करना सुनिश्चित करेगा तथा सुरक्षा में अग्निशमन के समस्त वांछित उपाय कराना सुनिश्चित करेगा।
4. आकस्मिक दुर्घटनाओं के बचाव हेतु आन साइट मैनेजमेंट प्लान तैयार कर इसका अनुमोदन संबंधित विभाग से कराकर इस कार्यालय में तीन माह में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा।

भवदीय,  
  
(ए०के०तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी